



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15062021-227601
CG-MH-E-15062021-227601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943

No. 231]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISTHA 21, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 19 मई, 2021

सं. टीएएमपी/59/2020-आईकेएलएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद् द्वारा, दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) स्थित इफ्को किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेएलएल) [पूर्ववर्ती इफ्को किसान बाजार एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेबीएलएल)] द्वारा अपनी आरक्षित बार्ज जेटी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए उनके दरमान के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/59/2020-आईकेएलएल

इफ्को किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

आवेदक

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मई 2021 के 13 वें दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) स्थित इफ्को किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेएलएल) [पूर्ववर्ती इफ्को किसान बाजार एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेबीएलएल)] द्वारा अपनी आरक्षित बार्ज जेटी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए उनके दरमान के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. आईकेएलएल ने 05 दिसंबर, 2020 के पत्र के साथ पठित 06 नवंबर, 2020 के अपने पत्र के द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अनुसरण में अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया।

2.2. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, आईकेएलएल के 05 दिसंबर, 2020 के पत्र के साथ पठित 06 नवंबर, 2020 के प्रस्ताव की प्रति प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों के परिचालित की गई।

2.3. इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 जनवरी, 2021 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। प्रस्ताव की संवीक्षा करने पर हमारे 27 जनवरी 2021 के पत्र के द्वारा आईकेएलएल को कुछेक मुद्दों पर सूचना/स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया।

2.4. प्रत्युत्तर में आईकेएलएल ने अपने 08 फरवरी 2021 के पत्र के द्वारा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण दिया।

2.5. सूचना/स्पष्टीकरण भेजते समय, आईकेएलएल ने संशोधित एआरआर परिकलन और संशोधित प्रस्तावित दरमान भेजे जिसमें आईकेएलएल ने डीपीटी के सुझाव पर स्टील और बोराबंद कार्गो तथा टिम्बर लॉग की दर के निर्धारण का प्रस्ताव किया।

3. इसके अतिरिक्त, हमारे 13 जनवरी, 2021 के पत्र के द्वारा डीपीटी को भी कुछेक मुद्दों पर सूचना/स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया। प्रत्युत्तर में डीपीटी ने 09 मार्च 2021 के अपने पत्र के द्वारा हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण भेजा।

4. मामले की संक्रिया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के हवाले से, इस प्राधिकरण ने दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) स्थित इफ्को किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेएलएल) [पूर्ववर्ती इफ्को किसान बाजार एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेबीएलएल)] द्वारा अपनी आरक्षित बार्ज जेटी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए उनके दरमान के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव निपटान करते हुए एक सकारण आदेश पारित किया।

5.1. इस प्राधिकरण द्वारा पारित सकारण आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना की प्रक्रिया में है और इसकी अधिसूचना में अभी और समय लगने की संभावना है। चूंकि विस्तृत सकारण आदेश की अधिसूचना में कुछ और समय लगेगा, यह प्राधिकरण आईकेएलएल के संशोधित दरमान को अधिसूचित करता है, जो अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। जैसा दरमान के भाग 2 के अंतर्गत टिप्पणी संख्या (x) में बताया गया है कि दरमान का अगला वार्षिक सूचकांकन संशोधित दरमानों के प्रभावी होने की तारीख से होगा। संक्षेप में, वर्ष 2021-22 के लिये इस प्राधिकरण द्वारा घोषित 0.33% का वार्षिक सूचकांकन संशोधित दरमानों में लागू करने के पश्चात इन्हें कार्यान्वित किया जायेगा।

5.2. इस प्राधिकरण द्वारा पारित सकारण आदेश अलग से अधिसूचित किया जायेगा और आईकेएलएल, डीपीटी और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को बाद में संसूचित कर दिया जायेगा।

6.1. संशोधित दरमान भारत के राजपत्र में दरमानों की अधिसूचना कराने वाले इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् लागू होंगे और संशोधित दरमानों के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक वैध रहेंगे।

6.2. आईकेएलएल के मौजूदा दरमान 31 मार्च, 2018 तक वैध थे। आईकेएलएल के अनुरोध पर मौजूदा दरमान की वैधता में पिछली बार 31 मार्च, 2021 तक विस्तार किया गया था। जब तक संशोधित दरमान प्रभावी होंगे तब जून 2021 के आस-पास का समय होगा। इसलिये मौजूदा दरमान की वैधता को, उनकी समाप्ति की तारीख से आगे संशोधित दरमान प्रभावी होने की तारीख तक, विस्तार किया हुआ समझा जाये।

टी. एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./95/2021-22]

इफ्फको किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड**दरमान****1. परिभाषाएं:**

इस दरमान में, जब तक अन्यथा प्रसंग अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

- (i). **"तटीय पोत"** से तात्पर्य है कोई भी पोत जो केवल भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत में ही किसी अन्य पोत या स्थान के बीच कारोबार में लगा हुआ है और जिसके पास सक्षम प्राधिकारी/पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस है।
- (ii). **"विदेशगामी पोत"** से तात्पर्य तटीय पोत से इतर कोई पोत है।
- (iii). **"निशुल्क अवधि"** से तात्पर्य उस अवधि से होगा, जिस अवधि के दौरान कार्गो को विलम्ब शुल्क/भू-भाटक के भंडारण की निशुल्क अनुमति होगी और इस अवधि में कस्टम अधिसूचित अवकाश और टर्मिनल के गैर-प्रचालन दिवस सम्मिलित नहीं होंगे।
- (iv). **"पत्तन"** से तात्पर्य दीनदयाल पत्तन न्यास [पूर्ववर्ती कांडला पत्तन न्यास] होगा।
- (v). **"प्रतिदिन"** से तात्पर्य प्रति कैलेंडर दिन जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।
- (vi). **"टीएएमपी"** से तात्पर्य महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 47क के अंतर्गत स्थापित महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से है।
- (vii). **"टन"** से तात्पर्य एक मीट्रिक टन अथवा 1,000 किलोग्राम या एक घन मीटर होगा।

2. सामान्य निबंधन एवं शर्तें

- (i). विलंबित भुगतानों/धन वापसियों पर ब्याज:
 - (क). प्रयोक्ता को इस दरमान के अंतर्गत विलंबित भुगतान के लिए दंड ब्याज का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, टर्मिनल प्रचालक को विलंबित धन वापसियों पर दंड-ब्याज का भुगतान करना होगा।
 - (ख). प्रयोक्ता को इस दरमान के अंतर्गत किसी भी प्रकार के विलंबित भुगतान के लिए दंड ब्याज का भुगतान करना होगा। ब्याज की दर 15% होगी। इसी प्रकार आईकेएलएल विलंबित धन वापसियों पर प्रति वर्ष @ 15% की दर से दंड-ब्याज का भुगतान करेगा।
 - (ग). धन वापसी (रिफंड) में विलंब सेवाओं के पूर्ण होने की तिथि या प्रयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर, इनमें से जो भी बाद में हो, से 20 दिन के बाद गिना जाएगा।
 - (घ). प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब, टर्मिनल प्रचालक द्वारा बिल प्रस्तुत करने की तिथि के बाद, 10 दिनों के बाद गिना जाएगा। तथापि, यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां भुगतान सेवाएं प्राप्त करने से पहले किया जाना हो और जहां इस दरमान में शर्तों के रूप में अग्रिम प्रभारों का भुगतान निर्धारित किया गया हो।
- (ii).
 - (क). सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो से संबंधित प्रभार, तापीय कोयला, पीओएस, जिसमें कच्चा तेल, लौह अयस्क और लोह छर्रे शामिल हैं, से भिन्न सामान्य कार्गो/कंटेनर से संबंधित प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होगा।
 - (ख). समुद्रीय तट अंतरण और घाट से/घाट को अंतरण/घाट किराए सहित भंडारण यार्ड से/तक अंतरण के लिए सभी संगत प्रहस्तन प्रभारों पर रियायती दरें प्रभारित होंगी।
 - (ग). किसी विदेशी पत्तन से कार्गो, जो भारतीय पत्तन 'ख' पर पोतांतरण के लिए भारतीय पत्तन 'क' पर पहुंचता है, पर उसकी तटीय यात्रा के लिए संगत रियायती प्रभार लगाए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, तटीय यात्रा करने के लिए अनुमति प्राप्त पोतों द्वारा लाए गए भारतीय पत्तनों से जाने वाले/भारतीय पत्तनों में आने वाले कार्गो रियायत के पात्र होंगे।

- (घ). तटीय कार्गो/पोतों के लिए प्रभारों को भारतीय रूपया मूल्यवर्ग में बदला जाएगा और उसका संग्रहण "भारतीय रूपए" में किया जाएगा।
- (iii). परिगणित किए गए सभी प्रभार, बिल के कुल जमा योग पर अगले उच्चतर/बढ़े हुए रूपये में, पूर्णांकित किये जाएंगे।
- (iv). प्रयोक्ता को टर्मिनल प्रचालक की वजह से हुए यथोचित स्तर से इतर के विलंबों के लिए प्रभारों का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।
- (v). (क). दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर की हैं, इसी प्रकार छूट और कटौतियां न्यूनतम स्तर की हैं। टर्मिनल प्रचालक यदि चाहे तो वह कम दरें प्रभारित कर सकता है और/या छूट और कटौतियां बढ़ा सकता है।
- (ख). प्रचालक यदि चाहे तो दरमान में निर्धारित दरों को लागू करने के विनियमन से संबंधित निर्धारित शर्तों को युक्ति संगत बना सकता है, यदि शर्तों को इस प्रकार तर्क-संगत बनाने से प्रयोक्ता को प्रति यूनिट दर में राहत मिलती है और दर मान में निर्धारित यूनिट दरें अधिकतम/उच्चतम स्तर से अधिक न हो।
- (ग). प्रचालक इस प्रकार की कम दर दें और/या ऐसी दरों के लागू करने को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करेगा, और इस प्रकार की निम्नतर/कमतर दरों में और/या ऐसी दरों को लागू किए जाने को शासित करने वाली शर्तों में बाद में किए जाने वाले परिवर्तनों को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करता रहेगा, बशर्ते कि निर्धारित की गई नई दरें, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक न हो।
- (vi). देय राशि के परिकलन के प्रयोजन से भार के रूप में यूनिट 1 टन अथवा 1000 किलोग्राम होगी, वाल्यूम के रूप में यूनिट 1 क्यूबिक मीटर होगी और बल्क में द्रव्यों के लिए क्षमता मापन की यूनिट 1000 लीटर होगी।
- (vii). अलग-अलग वस्तुओं के कुल भार अथवा वाल्यूम के रूप में माप अथवा क्षमता के परिकलन में 0.5 तक की भिन्न को 0.5 यूनिट और 0.5 और इससे ऊपर की भिन्न को एक यूनिट माना जाएगा, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।
- (viii). पूर्वी तट पर किसी एक भारतीय पत्तन से पश्चिमी तट के किसी अन्य भारतीय पत्तन को अथवा इसके विपरीत तटीय कार्गो की दुलाई में पोत द्वारा श्रीलंका के जलक्षेत्र से होकर, चाहे वह बीच में श्रीलंका में किसी पत्तन पर रुकता है या नहीं, और बिना पोत परिवर्तन के करने पर वह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड की 11 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमाशुल्क (एनटी) के निबंधनों के अनुसार पोत संबंधी प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारों में रियायत का सुपात्र होगा।
- (ix). पूर्वी तट पर किसी एक भारतीय पत्तन से भारत के किसी नदी पत्तन के बीच, अथवा इसके विपरीत, तटीय कार्गो की दुलाई में पत्तन द्वारा मार्ग में बंगलादेश के जलक्षेत्र से होकर गुजरने और बिना पोत परिवर्तन के करने पर वह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड के 11 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमाशुल्क (एनटी) के निबंधनों के अनुसार पोत संबंधी प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारों में रियायत का सुपात्र होगा।
- (x). दरमान संबंधित वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच प्राधिकरण द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में होने वाले परिवर्तन के 60% की सीमा तक स्फीति के प्रति स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन होंगे। ऐसा समंजित दरमान संबंधित वर्ष की 1 मई से लागू होगा और आगामी वर्ष की 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। तथापि, प्रथम वार्षिक सूचकांकन वर्ष 2021-22 के लिये इन संशोधित दरमानों के प्रभावी होने की तारीख से लागू होगा। आईकेएलएल के सूचकांकित दरमान की सूचना आईकेएलएल द्वारा डीपीटी, संबंधित प्रयोक्ताओं और इस प्राधिकरण को देनी होगी।

3. कार्गो प्रहस्तन प्रभार:

भार सूची में दिए गए कार्गो पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर आयातक/निर्यातक द्वारा सीधे कार्गो हैंडलिंग प्रभार संदेय का भुगतान किया जाएगा:

दर (रु. में)

क्र.सं.	वस्तु	यूनिट	विदेश कार्गो	तटीय कार्गो
(क).	प्रहस्तन प्रभार- अन्य शुल्क कार्गो	एमटी	70.63	42.37
(ख).	प्रहस्तन प्रभार – स्टील और बोरा बंद कार्गो	एमटी	70.63	42.37
(ग).	टिम्बर लाग	एमटी	70.63	42.37

टिप्पण:

उपर्युक्त निर्धारित प्रहस्तन प्रभार बार्ज से कार्गो की केवल उतरायी और आयात कार्गो के संबंध में ट्रकों पर लदान करने निर्यात कार्गो के लिए इसके विपरीत कार्रवाई करने के लिए है।

4. भंडारण प्रभार:

आयात/निर्यात कार्गो के भंडारण के लिए, अनुज्ञेय निःशुल्क अवधि से इतर, भंडारण प्रभार इस प्रकार होंगे:

क्र.सं.	वस्तु	यूनिट	दर (रु.में)
(क).	पहले 5 दिन	प्रति दिन/ एमटी	निःशुल्क
(ख).	भंडारण प्रभार – 6 दिन से 10 दिन	प्रति दिन/ एमटी	6.50
(ग).	भंडारण प्रभार – 11 दिन से 15 दिन	प्रति दिन/ एमटी	11.00
(घ).	भंडारण प्रभार 16 दिन और आगे	प्रति दिन/ एमटी	14.00

टिप्पण:

1. निःशुल्क दिवस अनुमत किये जायेंगे और निःशुल्क दिवसों की गणना के लिए सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचित छुट्टियां और टर्मिनल के अकार्य दिवसों को नहीं गिना जायेगा।
2. आयात के लिए निःशुल्क अवधि पोत से कार्गो की पूरी उतरायी की तारीख से की जायेगी।
3. निर्यात के लिए निःशुल्क अवधि कार्गो के ट्राजिट/पत्तन क्षेत्र में लाये जाने से आरंभ होगी। विलंबन शुल्क पोत के बर्थिंग करने की तारीख से अगले दिन समाप्त हो जायेगा।
4. विलंबन शुल्क, कार्गो के निर्धारित निःशुल्क दिवसों से इतर ठहराव के लिए, सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचित छुट्टियां और टर्मिनल के अकार्य दिवसों सहित लिया जायेगा।
5. कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए नहीं लगेगा जब प्रयोक्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर टर्मिनल प्रचालक सुपुर्दगी/कार्गो का लदान करने टर्मिनल प्रचालक को आरोप्य कारणों से, की स्थिति में नहीं होता।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th May, 2021

No. TAMP/59/2020-IKLL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the revised Scale of Rates disposing of the proposal received from the IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL) [formerly known as IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited (IKBLL)] for general revision of Scale of Rates (SOR) for the services rendered by it at its captive barge jetty at the Deendayal Port Trust (DPT) under Tariff Guidelines, 2019 as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/59/2020-IKLL

IFFCO Kisan Logistics Limited

Applicant

QUORUM:

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 13th day of May 2021)

This case relates to the proposal received from the IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL) [formerly known

as IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited (IKBLL)] for general revision of Scale of Rates (SOR) for the services rendered by it at its captive barge jetty at the Deendayal Port Trust (DPT).

2.1. The IKLL under cover of its letter dated 06 November 2020 read with letter dated 05 December 2020 has filed its proposal for general revision of its SOR following Tariff Guidelines of 2019.

2.2. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the IKLL proposal dated 06 November 2020 read with letter dated 05 December 2020 was circulated to the users/user organisations seeking their comments.

2.3. A joint hearing in this case was held on 29 January 2021 through Video Conferencing. On scrutiny of the proposal, the IKLL was requested vide our letter dated 27 January 2021 to furnish information/ clarifications on a few points.

2.4. In response, the IKLL has furnished its reply on additional information/ clarification vide its letter dated 08 February 2021.

2.5. While furnishing the information / clarification, the IKLL has furnished the revised ARR computation and revised proposed SOR wherein the IKLL has proposed to prescribe the rate for Steel and bagged cargo and Timber logs based on the suggestion of the DPT.

3. Further, the DPT was also requested vide our letter dated 13 January 2021 to furnish information / clarification on a few points. In response, the DPT vide its letter dated 09 March 2021 has furnished the information / clarification sought by us.

4. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, this Authority has passed a Speaking Order disposing of the proposal filed by the IKLL for general revision of its SOR for the services rendered by it at its captive barge jetty at the DPT under Tariff Guidelines, 2019.

5.1. The Speaking Order passed by this Authority is in the process of notification in the Gazette of India and it is likely to take some more time for notification. Since notification of the detailed Speaking Order will take some time, this Authority notifies the revised SOR of the IKLL which is attached as **Annex. As stated in the SOR at Note no.(x) under Section 2, the next annual indexation of SOR shall be from the date the revised SOR comes into effect. In short, annual indexation of 0.33 % announced by this Authority for the year 2021-22 should be applied to the revised SOR and then implemented.**

5.2. The Speaking Order passed by this Authority will be notified separately and communicated to the IKLL, the DPT and the relevant users/ user organisations in due course of time.

6.1. The revised SOR will come into force after expiry of 30 days from the date of notification of this Order notifying the SOR in the Gazette of India and shall be valid for a period of 3 years from the date the revised SOR comes into effect.

6.2. The existing SOR of IKLL is valid upto 31 March 2018. At the request of IKLL, the validity of existing SOR was last extended upto 31 March 2021 by the Authority. By the time the revised SOR comes into effect it may be around June 2021. Hence, the validity of the existing SOR may be deemed to have been extended from the date of expiry till the revised SOR comes into effect.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./95/2021-22]

IFFCO KISAN LOGISTICS LIMITED**SCALE OF RATES****1. Definitions**

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i). **"Coastal Vessel"** means any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the Director General of Shipping / Competent Authority.
- (ii). **"Foreign Vessel"** means any vessel other than a coastal vessel.
- (iii). **"Free period"** shall mean the period during which cargo shall be allowed storage free of demurrage charges/ ground rent and this period shall exclude Customs notified holidays and Terminal's non-operating days.
- (iv). **"Port"** shall mean Deendayal Port Trust [Formerly known as Kandla Port Trust].
- (v). **"Per day"** means per calendar day unless otherwise stated.
- (vi). **"TAMP"** shall mean the Tariff Authority for Major Ports constituted under Section 47A of the Major Ports Act, 1963.
- (vii). **"Tonne"** shall mean one metric tonne or 1,000 kilograms or one cubic metre.

2. General Terms and Conditions

- (i). Interest on delayed payments / refunds:
 - (a). The user shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, the terminal operator shall pay penal interest on delayed refunds.
 - (b). The user shall pay penal interest on delayed payments of any charge under this Scale of Rates. The rate of interest will be 15%. Likewise, the IKLL shall pay penal interest @ 15% per annum on delayed refunds.
 - (c). The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
 - (d). The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the Terminal operator. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in this Scale of Rates.
- (ii).
 - (a). The cargo related charges for all coastal cargo, other than thermal coal, POL including crude oil, iron ore and iron pellets, should not exceed 60% of the normal cargo/ container related charges.
 - (b). In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship-shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage.
 - (c). Cargo from a foreign port, which reaches an Indian Port 'A' for subsequent transshipment to Indian Port 'B' will be, levied the concessional charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from / to Indian ports carried by vessel permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
 - (d). The charges for coastal cargo/ vessels shall be denominated and collected in "Indian Rupee".
- (iii). All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.
- (iv). Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to the terminal operator.
- (v).
 - (a). The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels: likewise, rebates and discounts are floor levels. The terminal operator may, if it so desires, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts.

- (b). The terminal operator may also, if he so desires rationalize the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalization gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling levels.
- (c). The terminal operator should, however, notify the public such lower rates and / or rationalization of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and / or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.
- (vi). For the purpose of calculating the dues the unit by weight shall be 1 tonne or 1000 kilograms, the unit by volume measurement shall be 1 cubic metre and the unit by capacity measurement for liquids in bulk shall be 1000 litres.
- (vii). In calculating the gross weight or measurement by volume or capacity of any individual item, fractions upto 0.5 shall be taken as 0.5 unit and fractions of 0.5 and above shall be treated as one unit, except where otherwise specified.
- (viii). Coastal goods transported between an Indian port on east coast and another Indian port on west coast or vice versa, by a vessel through the territorial waters of Sri Lanka, whether or not calling any port in Sri Lanka in between and without change of vessel in terms Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 of Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.
- (ix). Coastal goods transported between an Indian port on east coast and a river port in India or vice versa, by a vessel through a route passing through the Bangladeshi waters and without change of vessel in terms Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 of Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.
- (x). The SOR is subject to automatic annual indexation to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Authority occurring between 1st January to 31st December of the relevant year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of following year. **The 1st annual indexation i.e. for the year 2021-22 will however be applicable from the date this revised SOR comes into effect.** The indexed SOR by the IKLL to be intimated by the IKLL to the DPT, concerned users and to the Authority.

3. Cargo handling charges:

The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo by the importer / exporter or their representative / agent / person authorised by importer / exporter of the cargo at the rates specified below:

(Rates in ₹)

Sr. No.	Commodity	Unit	Foreign Cargo	Coastal Cargo
(a).	Handling Charges - Other dry bulk	MT	70.63	42.37
(b).	Handling Charges - Steel and Bagged Cargo	MT	70.63	42.37
(c).	Timber Logs	MT	70.63	42.37

Note:

The handling charges prescribed above are only for unloading of the cargo from the Barge and loading on to trucks in respect of import cargo and vice-a-versa for export cargo.

4. Storage charges:

The storage charges for import / export cargo stored beyond the free period allowable shall be as under:

Sr. No.	Commodity	Unit	(Rate in ₹)
(a).	First 5 days	Per day / MT	Free
(b).	Storage Charges – 6 days to 10 days	Per day / MT	6.50
(c).	Storage Charges – 11 days to 15 days	Per day / MT	11.00
(d).	Storage Charges 16 days and above.	Per day / MT	14.00

Notes:

1. Five free days shall be allowed and for computation of free period, customs notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.
2. Free period for imports shall be reckoned with from the date of complete discharge of vessel's cargo.
3. Free period for exports shall commence from the date on which the cargo is brought in the transit / port area. The demurrage will cease from the day following the date of berthing of vessel.
4. Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.
5. Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reason attributable to the terminal operator.